भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2023

सूचना

क्रमांक–एफ–3 / 19 / 2022 / 18–5:– मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नीमच निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात––

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन म0प्र0.।
2. कलेक्टर , जिला नीमच म0 प्र0 ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नीमच म0प्र0 ।
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच म0प्र0।

2/ नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 में उपांतरण संबंधी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में जारी सूचना दिनांक 23/11/2022 (म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 02/12/2022 को प्रकाशित) पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि :–

(अ) सूचना की अनुसूची की कंडिका कमांक 1 की तालिका के सरल कमांक–6 में प्रस्तावित एम.आर.42 मार्ग (A,B,C) में मानचित्र में दर्शाये अनुसार उत्तर दिशा की ओर स्थित अंश भाग (A,B) को विलोपित करते हुए शेष मार्ग (B,C) को यथावत रखा जावें।

(ब) सूचना की अनुसूची की कंडिका कमांक 1 की तालिका के सरल कमांक–3 में मानचित्र में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित एम.आर. 39 मार्ग (I,J,K,L) के उत्तर दिशा की ओर स्थित अंश भाग (J,K) को विलोपित करते हुए इसका सरकारी मार्ग से समन्वय किया जावे तथा शेष मार्ग (I,J) एवं (K,L) को यथावत रखा जावें।

(स) सूचना की अनुसूची की कंडिका कमांक 1 की तालिका के सरल कमांक–8 में मानचित्र में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित एम.आर. 44 मार्ग (D,E,F,G) के उत्तर दिशा की ओर स्थित अंश भाग (E,F,G) एवं सरल कमांक–9 प्रस्तावित एम.आर. 45 मार्ग (F,H) को विलोपित करते हुए शेष मार्ग (D,E) को यथावत रखा जावें ।

3/ उक्त निर्णय का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है।

4/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2023

क्र. एफ-03-19-2022-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-03-19-2022-अठारह-5, दिनांक 12 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2023

NOTICE

No. F 3/19/2022/18-5: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Neemuch (Planning Area) 2035 under sub- section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973(No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner, Ujjain division Ujjain M.P.
2. Collector, District Neemuch , MP
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Neemuch, MP
4. Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Neemuch, MP

2/ Objection/suggestion received within the stipulated time period on the notification dated 23/11/2022 (published in State Gazette on 02/12/2022) regarding modification in Neemuch Development Plan (Draft) 2035 were heard and it has been decided that :-

a) **In the serial number 6 of the table of clause 1 of the notification, in the proposed MR 42 road (A, B, C) shown in the map, the segment (AB) in the north direction is deleted, and the remaining road (BC) is kept as it is.**
b) **In the serial number 3 of the table of clause 1 of the notification, in the proposed MR 39 road (I, J, K, L) shown in the map, the segment (JK) in the north direction is deleted and co-ordinated with the government road, and the remaining road (I, J) and (K, L) are kept as it is.**
c) **In the serial number 8 and 9 of the table of clause 1 of the notification, in the proposed MR 44 road (D, E, F, G) shown in the map, the segment EFG and proposed MR 45 road (F,H) in the north direction is deleted. The remaining road (DE) is kept as it is.**

3/ The detail of the decision is available on the website www.mptownplan.gov.in.

4/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) of M.P.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.